UPPB010008342026

न्यायालय, सत्र न्यायाधीश, पीलीभीत

पीठासीन अधिकारीः रविन्द्र कुमार–चतुर्थ, एच0जे0एस0–UPID2014

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–303/2026

इल्हाम उर्र रहमान शम्सी पुत्र फुजेल उर्रहमान शम्सी, निवासी–मोहल्ला पंजाबियान, थाना–कोतवाली, जिला–पीलीभीत।

.....आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उ0प्र0 सरकार ..... अभियोगी

मुकदमा अपराध संख्या–60/2026
अन्तर्गत धारा–336(3), 316(5), 338, 340(2), 61(2) भारतीय न्याय संहिता
थाना–कोतवाली, जनपद–पीलीभीत।

दिनांकः 11.03.2026

1. यह अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र मय शपथ पत्र आवेदक/अभियुक्त इल्हाम उर्र रहमान शम्सी की ओर से उपरोक्त मुकदमा अपराध संख्या–60/2026, दिनांकित–14.02.2026, थाना–कोतवाली, जनपद–पीलीभीत के मामले में, अन्तर्गत धारा–482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है।

2. वादी मुकदमा राजीव कुमार, जिला विद्यालय निरीक्षक, पीलीभीत के द्वारा थाना–कोतवाली पर इस आशय की तहरीर दी गई है कि इल्हाम उर्र रहमान शम्सी जो कि जनता टेक्निकल इण्टर कालेज बीसलपुर, पीलीभीत में कार्यरत है तथा विगत वर्षों से इसके द्वारा कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक, पीलीभीत में वेतन, बिल, टोकन जनरेशन आदि का कार्य देखा जा रहा था, ने अपनी पत्नी श्रीमती अर्शी खातून के साथ मिलकर कूटरचना कर एवं कपटपूर्ण तरीके से वेतन मद से दिनांक–12.09.2024 से कुल 98 ट्रांजेक्शन के द्वारा 1,01,95,135.00/–(एक करोड़ एक लाख पिच्चानवें हजार एक सौ पैंतीस) रूपये की धनराशि अपनी पत्नी अर्शी खातून के खाते में हस्तांतरित करके सरकारी धन का गबन किया गया है।

3. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि उसको उक्त मामले में झूठा फंसाया गया है। वह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, जिसके पास करोड़ों रूपये के ट्रांसफर करने की न तो तकनीकी क्षमता है और न ही कानूनी अधिकार है। विभाग से सम्बंधित समस्त वित्तीय लेनदेने हेतु डी0आई0ओ0एस0 के डिजिटल डोंगल और मोबाइल से ओ0टी0पी0 वैरीफाई होने के पश्चात् लेखाधिकारी द्वारा जाचोंपरान्त धनराशि का स्थानान्तरण होता है। उच्चाधिकारियों ने स्वयं को बचाने के लिए उसे झूठा फंसाया है। जो जिलाधिकारी द्वारा कराई गई जांच के क्रम में उससे जबरदस्ती दबाब बनाकर यह लिखवाना कि उनके द्वारा ही समस्त घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है, जो यही दर्शाता है। घटना भ्रामक एवं मनगढन्त तथ्यों पर आधारित है। अगर पुलिस द्वारा उसको गिरफ्तार किया जाता है तो उसकी व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का हनन होगा एवं सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल होगी। अतः उपरोक्त आधारों पर आवेदक/अभियुक्त को अग्रिम जमानत पर रिहा करने की याचना की गयी।

Digitally signed by RAVINDRA KUMAR
Date: 2026.03.11 17:04:39 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

4. राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी के द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का घोर विरोध करते हुए तर्क दिया गया है कि आवेदक/अभियुक्त जो कि जनता टेक्निकल इण्टर कालेज बीसलपुर, पीलीभीत में कार्यरत है तथा उसके द्वारा कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक, पीलीभीत में वेतन, बिल, टोकन जनरेशन आदि का कार्य विगत वर्षों से देखा जा रहा था, जो कि एक सरकारी लोक सेवक है, ने अपनी पत्नी श्रीमती अर्शी खातून के साथ मिलकर कूटरचना कर एवं कपटपूर्ण तरीके से सरकारी वेतन मद से कुल 98 ट्रांजेक्शन के द्वारा 1,01,95,135.00/–(एक करोड़ एक लाख पिच्चानवें हजार एक सौ पैंतीस) रूपये की धनराशि अपनी पत्नी के खाते में हस्तांतरित करके सरकारी धन का गबन कर आपराधिक न्यासभंग किया। आवेदक/अभियुक्त ने अपना अपराध लिखित रूप में स्वीकार भी किया है। आवेदक/अभियुक्त के द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः उसके अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

5. आवेदक/अभियुक्त के अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर उसके विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी के तर्क सुने गये तथा प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

6. प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त जो कि एक सरकारी लोक सेवक है, उस पर अपनी पत्नी श्रीमती अर्शी खातून के साथ मिलकर कूटरचना कर एवं कपटपूर्ण तरीके से सरकारी वेतन मद से 1,01,95,135.00/–(एक करोड़ एक लाख पिच्चानवें हजार एक सौ पैंतीस) रूपये की सरकारी रकम/धनराशि अपनी पत्नी के खाते में हस्तांतरित करके, सरकारी धन का गबन कर, आपराधिक न्यास भंग करने का गम्भीर एवं विशिष्ट आरोप/इलजाम है। मामले में अभी विवेचना प्रचलित है, लिहाजा इस स्तर पर अग्रिम जमानत का आधार पर्याप्त नहीं है। अतः मामले के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए एवं मामले के गुण–दोष पर कोई टिप्पणी किये बिना इस न्यायालय की राय में आवेदक/अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त इल्हाम उर्र रहमान शम्सी का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र तद्नुसार निरस्त किया जाता है।

दिनांकः 11.03.2026

(रविन्द्र कुमार–चतुर्थ)
UPID2014
सत्र न्यायाधीश,
पीलीभीत